

क्रमांक:- मुसप्र/2019/813


दिनांक:- 22/10/19

आदेश

आवासीय अभियंता, खण्ड-कोटा ने उप आवासन आयुक्त, कोटा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता-तृतीय एवं मुख्य अभियंता-प्रथम के माध्यम से आवासीय योजना रामगंज मण्डी, कोटा घरौंदा आवासीय योजना में पूर्व 86 पंजीकृत आवेदकों को आवंटित आवास "जहां है जैसा है" की स्थिति में आवंटियों की सहमति अनुसार आवंटन पत्र जारी करने की अनुशंषा की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।


उक्त वर्णित योजना में उप आवासन आयुक्त वृत्त-कोटा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता-तृतीय, जयपुर एवं मुख्य अभियंता-प्रथम द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर पूर्व पंजीकृत आवेदको को "जहां है जैसा है" की स्थिति में आवंटन पत्र जारी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

पैरा सं. 43/एन पर माननीय आवासन आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त है।


(डॉ० प्रमा व्यास)
मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, रा० आ० मा०, जयपुर।
4. निजी सचिव-वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अति० निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक, रा० आ० मा० जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, रा० आ० मा०, वृत्त-कोटा।
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-कोटा, रा० आ० मा०, कोटा।
7. संयुक्त निदेशक (एस.ए.), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
8. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), रा० आ० मा०, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक